

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (७०४० सरकार का उपक्रम) प्रधान कार्यालय 4—ए गोखले मार्ग, लखनक e-mail:dgmfinancemvvni@gmail.com CIN:U31200UP2003SGC027459 GSTN:09AAECM0108U120

Letter No. 176 -GM(F)/Madhyanchal/Accounts/185 Dated: 06/05/.2024

Chief Engineer (Commercial-1)
Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Limited,
4-A, Gokhale Marg,
Lucknow-226001.

E-Mail

Subject: Request to check the information related to AT&C Loss of MVVNL for the FY 2020-21, FY 2021-22 and FY 2022-23

Dear Sir,

In reference to your Letter No. 1970/Chief (Comm-1)/UPPCL-QUERY Dated 29.04.2024 on the subject matter cited above, please consider revised information/calculation in continuation to our Letter No.-174 GM(F)/ Madhyanchal/Accounts/185 dated 01-05-2024 related to AT & C Losses of MVVNL for the F.Y. 2020-21, F.Y. 2021-22 and F.Y. 2022-23 as given below:-

S.N.	Particulars	Units	Formula	F.Y. 2020-21	FY 2022-23	FY 2022-23
1.	Input Energy	MU's		23520.968	24352.978	27347.213
2	Energy Sales	MU's		18765.222	20125.693	23228.100
3.	Distribution Losses	%	3=(1-2)/1	20.22%	17.36%	15.06%
4.	Revenue Assessment (Excluding ED)	Rs. Crore		12668.47	13050.20	13707.75
5.	Tariff Subsidy Received	Rs. Crore		1,345.00	3,663.54	3,692.08
6.	Average Billing Rate	Rs./kWh	6=4/2*10	6.75	6.48	5.90
7.	Opening Trade Receivables (Gross)- Excluding ED	Rs. Crore		18588.91	20684.55	24276.40
8	Closing Trade Receivables (Gross)- Excluding ED	Rs. Crore		20742.21	24227.00	26194.02
9.	Increase in Receivables During the Year	Rs. Crore	9=8-7	2153.29	3542.45	1917.62
10.	Revenue Collection	Rs. Crore		10515.17	9507.75	11790.13
11.	Collection Efficiency(%)	%	11=(10+5)/ (4+5)	84.63%	78.81%	88.98%
12	Thru Rate	Rs./kWh	12=10/1*10	4.47	3.90	4.31
13.	AT & C Losses	%	13=(1- 2*11) /1	32.48%	34.87%	24.42%

Hence, it is requested to consider the above data/calculation for further

necessary action.

(Sanjeev Kumar Verma) Dy. General Manager (F&A)

SE(COM-2)

work to the por



REC Limited | आर ई सी लिमिटेड

(भारत सरकार का বতাস) / (A Government of India Enterprise)
Regd. Office: Core-4, SCOPE Complex, 7, Lodhi Road, New Dehi - 110003
Corporate Office: REC World Headquarters, Plot No. 1-4,
Near IFFCO Chowk Metro Station, Sector-29, Gurugeam - 122001 (Haryens)
Tel: +91 124 444 1300 | Website: www.recindia.com
CIN - L40101DL1969GO0005095 | GST No. 06AAACR4512R3Z3

Date: 28 03 2022

REC/RDSS/Uttar Pradesh/MVVNL/21-22/152

To, The Addl. Chief Secretary (Energy) Government of Uttar Pradesh, Bapu Bhavan, R.No 104, U.P Secretariat, Lucknow-226001

Sub: Approval of Action plan and DPR of Madhyanchal Vidyut Vitaran Nigam Limited (MVVNI.)for the State of Uttar Pradesh under Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS).

Sir.

- This is to inform that Monitoring Committee for RDSS constituted under Chairmanship of Secretary (Power), Govt. of India, in its 6th meeting held on 04.03.2022, has approved the Action plan and Loss Reduction DPR of Madhyanchal Vidyut Vitaran Nigam Limited (MVVNL) under Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS) as per below mentioned details:
 - Results Evaluation Matrix for MVVNL as enclosed at Annexure A along with pre-qualifying criteria.
 - b) DPR for Smart metering works with total Project Cost of Rs. 5009.35 Crores with GBS of Rs 751.40 Crores including incentive for Phase-1 as per details in Annexure B.
 - e) DPR for Infrastructure works Loss reduction with total project cost of Rs. 4165.32 crores with GBS of Rs. 2499.19 crores as detailed in Annexure C.
 - d) PMA charges of Rs of 18.79 crores for smart metering works and Rs. 62.48 Crore for infrastructure works -Loss reduction with GBS of Rs. 11.27 Crores and Rs. 37.49 Crores respectively as detailed in Annexure D.

2. Funding Pattern:

a. The funding Pattern for the State of Uttar Pradesh is a given below:

Item Description	GBS % (Max)
Prepaid Smart metering solution including at consumer, DT, and feeder level including integration of existing infrastructure	15% of the approved cost of metering including the operational cost, provided that it is not more than Rs. 900 per meter for consumer metering only
Distribution Infrastructure works	60% the approved cost of Distribution infrastructure works
PMA Charges for Metering and Infrastructure works	60% of the approved cost of PMA

b. The project cost approved by the Monitoring Committee or actual cost incurred whichever is less, shall be the eligible cost for determining the grant under the scheme for Infrastructure works and PMA Components. Any cost overrun after approval of the project (by Monitoring Committee) due to any reason whatsoever shall not be eligible for any grant and shall be borne by the DISCOM/respective State Government.

c. The release of GBS by Government of India will be subject to prescribed scheme guidelines and would be contingent to award of prepaid smart metering works & its satisfactory progress.



Regional Offices: Bengaluru, Bhopal, Bhubaneswar, Chennai, Dehradun, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Jammu, Kolkata,

Lucknow, Mumbai, Panchkula, Patna, Raipur, Ranchi, Shimla, Thiruvanan/hapuram & Vijaywada

State Offices : Vadodara

Training Centre: REC Institute of Power Management & Training (RECIPMT), Hyderabad

- 3. The terms and conditions of the sanction are as given below:
 - a) MVVNL to ensure implementation of the scheme in accordance with all the prescribed scheme guidelines including SBDs.

b) Smart Metering works:

- Funding under Metering component will be available only to Prepaid smart meters operating in prepayment mode for consumers, and in accordance with the uniform approach indicated by the Central Government, with implementation in TOTEX mode.
- ii. A feeder and DT level automated online energy accounting system shall be put in place.
- All feeders are to be metered with communicable & AMI/AMR meters by 31st December 2022, and shall be integrated with the National Feeder Monitoring System (NFMS) proposed to be put in place shortly.
- MVVNL to complete 100% DT metering in Phase-I areas by March 2023 and in remaining areas by December 2023 to facilitate energy accounting.
- v. Discoms while implementing the prepaid smart metering projects, shall ensure that the remotely readable metering at DT level; Consumer indexing; integration of feeder level data; and the consumer billing database under the AMI contracts are prioritised to be completed latest by March 2023.
- Prepaid Smart Meters may be installed outside the consumer premises, may be pole mounted, ground mounted panels, incoming service cables that may be armoured etc.

c) Infrastructure works & PMA Charges:

- Agricultural Feeder segregation should be considered on priority under the loss reduction part of DPR.
- ii. All feeders segregated for Agriculture should be solarized under the PM- KUSUM scheme of MNRE or any other similar scheme of State Government. In this regard, UPPCL to submit road map for solarisation of agricultural feeders to the satisfaction of Government of India based on the technical feasibility report of POSOCO, in addition to already committed 75 MW under KUSUM A and 150 MW under KUSUM- C. Road map needs to be submitted before release of Phase II grant.
- iii. Discom to carry out feeder level analysis to identify high loss feeders for reduction of losses through appropriate measures proposed in the DPR as early as possible but within three months of sanction and details of such feeders to be included in the DPR.
- iv. PMA charges over and above the permitted amount shall be borne by the respective DISCOM / State government.
- Also, services of PMA shall be retained up to completion of the project, without any financial implications beyond that already provided.
- MVVNL shall provide approval of Managing Director regarding justification of location and proper selection of site for replacement of LT line with armoured XLPE cable.

The detailed terms & conditions of sanction letter is enclosed as Annexure E.

4. Result Evaluation Matrix and pre-qualifying criteria:

The AT&C losses and ACS-ARR Gap trajectories approved by Monitoring Committee are as given below:

Parameter	Units	Max	Base	Baseline		Tar	gets	
r ar america		marks	Year	values	FY 2022	FY 2023	FY 2024	FY 2025
ACS-ARR Gap (Cash adjusted)	Rs./ kWh	35	FY20 [FY21]	1.35	1.41	1.04	0.73	0.34
ACS-ARR Gap (Subsidy received excluding UDAY grants and Regulatory income) *Only for tracking			FY20 [FY21]	0.29 [0.40]	0.42	0.26	0.22	0.00



AT&C loss	95	25		34.14% [33.81%]		26.60%	21.08%	17.97%
-----------	----	----	--	--------------------	--	--------	--------	--------

b) Discom to mandatorily meet the pre-qualifying criteria and achieve the specified marks in the Evaluation Matrix based on which DPR for Modernisation & System Augmentation shall be sanctioned and grant for both loss reduction works (other than the advance for DPR for Loss Reduction) and for the Modernisation & System Augmentation works will be released.

MVVNL to ensure timely adoption of all suitable measures to meet the prequalifying criteria and

to score at least 60% marks on the agreed Result Evaluation Matrix.

d) If by the end of year 2025-26, the DISCOM is not eligible for release of any grant, the initial advance of 10% of the grant component of the cost of DPR for Loss Reduction will have to be refunded by the DISCOM.

5. Fund Management:

a. The Discom shall ensure that funds released under the scheme are utilized for the purpose for which it is released and will not be diverted for any other purposes whatsoever. The grant release from Nodal Agencies to the DISCOMs shall be done through PFMS and the DISCOMs shall use PFMS for fund flows to the lowest level as specified by the Government of India's instructions on the subject under the scheme.

 DISCOM shall submit utilization certificates (UC) for the funds released during the financial year in prescribed format latest by 30th April of succeeding year in addition to the UC along with

every claim.

c. For release of funds under the Scheme, Discom has to ensure updation of baseline data, physical & financial progress, Quality Monitoring, Fund Management, Asset identification through Geotagging, outcomes and achievements for evaluation under Result Evaluation Framework, closure,

etc on the digital platform to be developed by the Nodal Agencies.

d. For works other than metering works under Part A, counterpart funding will be provided by the DISCOM/ State Government. If DISCOM takes loan for counterpart funding, such loan will be taken from REC and PFC only. Further, counterpart funding from bilateral/multilateral funding agencies can also be leveraged for which the Government of India would extend benefits of reduced Government Guarantee fee.

e. In case loan component of the project cost is funded by the NBFCs under MoP, then in order to secure the loan, the existing TPA (Tri-partite Agreement) arrangement among Government of India, the State Government and the RBI shall be suitably amended to provide that the loan

servicing payments in case of default can be recovered through RBL

- A Scheme Implementation Agreement will be signed between the Government of Uttar Pradesh, Madhyanchal Vidyut Vitaran Nigam Limited (MVVNL) and Nodal Agency on behalf of Central Government within 30 days of issuance of sanction letter. Copy of approved agreement is enclosed as Annexure-F.
- It is requested to kindly acknowledge and accept the sanction letter as per the acceptance letter enclosed as Annexure-G.

Yours Sincerely,

(Valli Natrajan) Executive Director

Enclosed: As Above.

Copy to:

Managing Director, Madhyanchal Vidyut Vitaran Nigam Limited, Uttar Pradesh.

2. ED (SOP), REC

3. Sr CPM, REC, RO- Lucknow, Uttar Pradesh.

Annexure – A

Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Limited

Result Evaluation Framework

Financial Stability (60% weightage) | 65% weightage in 1st year

			Max	Base	Baseline		Tar	gets	
S. No	Parameter	Units	marks	year	Values	FY 2022	FY 2023	FY 2024	FY 2025
1(a)	ACS-ARR Gap (cash adjusted)	Rs./ kWh	35	FY 20 [FY21]	1.35	1.41	1.04	0.73	0.34
1(b)	ACS-ARR Gap (subsidy received basis, excluding regulatory income & UDAY grants) *Only for tracking	Rs./ kWh		FY 20 [FY21]	0.29 [0.40]	0.42	0.26	0.22	0.00
2	AT&C loss	%	25	FY 20 [FY21]	34.14% [33.81%]	31.76%	26.60%	21.08%	17.97%
3	Liquidation of Outstanding/ Overdue Subsidy Payment by State Government	Rs. Cr	12.5	FY 21	978	885	782	685	587
4	Liquidation of Outstanding/ Overdue Government Dues	Rs. Cr	7.5	FY 21	1618	1618	1150	600	0
5	Takeover of Financial losses of baseyear by State Govt.	%	7.5	FY21			60% of FY22 loss	75% of FY23 loss	90% of FY24 loss
6	Implementation of Automatic pass through of Fuel Cost Adjustment (Quarterly)	Yes/ No	5	FY 21	NO	NO	Yes	Yes	Yes
7	No. of creditor days	Days Payable	2.5	FY 20 [FY21]	267 [271]	214	150	105	45
8	No. of debtor days	Days receivable	2.5	FY 20 [FY21]	604 [609]	605	450	150	45
9	Progress in putting Govt. Offices onsmart prepaid meters	%	2.5	FY-21	0%	0%	52%	100%	100%
	S. Total		100						



उत्तर प्रदेश सरकार

2023-2024 के व्यय

के

ब्योरेवार अनुमान

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

(जैसे कि विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये)

फरवरी, 2023

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

(₹ लाख में)

			1-11-110-0-1211 V.110-00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-	()
स्तविक ऑकडे	अय-व्ययक अनुमान	पुनरीक्षित अनुमान	लेखा शीर्ष	अय-व्ययक अनुमान
2021-2022	2022-2023	2022-2023		2023-2024
		2401-फमल कृषि न	र्म , 102-खापानों की फसतें , 01-केन्द्र प्रापे	क्ति योजनएँ
			0103-फूड एण्ड व्टीशन मिक्न योरि	टी (कृषि उ॰ नित वोजना) (के.60/प.40-
			年.)	2001
-	-	-	07 - मानदेव	176.55
-	-	<u>~</u>	27 - सब्सिडी	13012.22
	1.22		42 - अन्य व्यय	472.90
7,22	_	2	44 - प्रशिक्षण हेत् याचा एवं अन्य प्रासंगिक	र व्य य 23.72
0.75	7	7	58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	407.8
-	-	1.5	यंग : 0103	14093.20
8485.66	14249.39	14151.36	नोग: 01	14093.20
441	A. 0400000	10 0101000000	05- कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिये कृषकों के	निजी नल क्यों को विद्युत अपूर्ति हेतु उ.प्र.
			विद्युत निगम को अनुदान	
150000.00	150000.00	150000.00	27 - सब्सिडी	192000.00
			89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यां	স
			8902- नेशनल फुड सिक्योरिटी मिनान	
0.00	108.34	108.34	07 - मानदेव	
-	8669.05	8669.05	27 - सब्सिडी	-
-	148.13	124.43	42 - अन्य व्यय	10
-	60.92	60.92	44 - प्रविक्षण हेतु याना एवं अन्य प्रासंगिक	व्यय -
8 4 8	252.84	252.84	58 - आउट सोसिंग सेवाओ हेतु भूगतान	S=
	9239.28	9215.58	योग : 8902	-
			8903-फूड एए डः वृट्टीशन मि न योरि	टी (कृषि उन नित बोजना)
-	-	#	07 - मानदेव	117.70
-	-	=	27 - सब्सिडी	8674.81
***	**	-	42 - अन्व व्यय	315.27
-	-	=	44 - प्रशिक्षण हेतु गाना एवं अन्य प्रासंगिन	त्रव्यय 15.8 <u>2</u>
-	-	-	58 - अउट सोसिंग सेवाओं हेतु भुगतान	271.87
32 0.30	3.55	1777	गेग: 8903	9395.47
10	9239.28	9215.58	बोग : 89	9395.47
158485.66	173488.67	173366.94	येम: 102	215488.67



उत्तर प्रदेश सरकार

2023-2024 के व्यय

के

ब्योरेवार अनुमान

ऊर्जा विभाग

(जैसे कि विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये)

फरवरी, 2023

अनुदान संख्या **009** 2023-2024

पृष्ठ संख्या 7

5-1			ऊर्जा विभाग	(₹ लाख में)
———— ग्रास्तविक ऑंकड़े	आय-व्ययक अनुमान	। पुनरीक्षित अनुमान	लेखा शीर्ष	आय=व्ययक अनुमान
2021-2022	2022-2023	2022-2023		2023-2024
		2071	- पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ	
		(1 - सिविल	
			200 - अन्य पेंशन	
			03- राज्य विद्युत परिषद के विघटन पूर्व व	गर्यरत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवा नैवृत्तिक
			सुविधायें	
1509.46	370000.00	296000.00	33 - पेंशन/आनुतोषिक/अन्यसेवानिवृ	ति हितलाभ 40000.00
1509.46	370000.00	296000.00	योग : 200	400000.00
1509.46	370000.00	296000.00	योग : 01	400000.00
1509.46	370000.00	296000.00	योग : 2071	400000.00
		2801	- बिजली	
		(5 - संचरण एवं वितरण	
			190- सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य, उपक्रम	i को सहायता
			03- उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लि0	
			0301- आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अ	न्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश
			पावर कार्पोरेशन लि. द्वारा पी.एफ.	सी. एवं आर.ई.सी. से प्राप्त किये गये रू.
			20,940 करोड़ के ऋण के मूलध	म की अदायगी हेतु अनुदान
200000.00	200000.00	200000.00	20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर	वेतन) 200000.00
200000.00	200000.00	200000.00	योग : 190	200000.00
			300 - अन्य व्यय	
			04- उ.प. पावर कारपोरेशन लि. को क्षति	र्सी अनुदान
1196566.34	1000000.00	1100000.00	27 - सब्सिडी	1100000.00
			05- उदय योजना के अन्तर्गत विद्युत वितर	ण कम्पनियों की हानियों की फंडिंग
500000.00	500000.00	800772.00	20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर	वेतन) 36270.00
37250.00			27 - सब्सिडी	, -
537250.00	500000.00	800772.00	योग : 05	36270.00
			06- सरकारी विभागों के दिनांक 31 मार्च	, 2022 तक बकाया विद्युत बिलों की अदायगी
			हेतु उ 0 प्र 0 पावर कापीरेशन लि0 के	ो अनुदान
	350000.00	350000.00	20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर	वेतन) 300000.00
			07- निजी नलकूप उपभोक्ताओं को दिनांव	5 01-01-2022 से टैरिफ के आधार पर 50
			प्रतिशत की छूट प्रदान किए जाने के फ	नस्वरूप 2021-2022 के चतुर्थ त्रैमास एवं

2022-2023 हेतुःु यू.पी.पी.सी.एल. को अनुदान

5-1 ऊर्जा विभाग (₹ लाख में)

* cliss of j	,			
आय-व्ययक अनुगत	। त्रीर्थ	पुनरीक्षित अनुमान	अद-व्ययक अनुमान	तविक ऑकडे
2023-2024		2022-2023	2022-2023	021-2022
	वरण एवं वितरण , <i>800-</i> अन्य व्यय	2801-5		
के अधार पर 50	लकृप उपभोक्ताओं को दिनांक 01-01-2022 से टैरिफ			
चतुर्थ त्रैमास एवं	र्ती कूट प्रदान किए जाने के फलस्वस्य 2021-2022 के			
	2023 हेत्ु य्.पी.पी.सी.एल, को अनुदान			
- 2	न्मेडी	125000.00	-	-
ल.को अनुदान	लक्य उपभोक्ताओं को टैरिफ सब्सिडी हेतु यु.पी.पी.सी.प			
150000.00	हाचता अनुदान - सामान्त (गैर चेतन)	84	**	***
की फण्डिंग	बोजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की हानियों			
650000.00	रापता अनुदान - सामान्य (गैर बेतन)			-
गयी धनराशि के विरुद्ध	देश पावर कारपोरेशन लि0 को विख्ल कर की धुगतान की			
	तिपृति अनुदान			
210000.00	भिदी	210000.00	210000.00	105000.00
वाले अतिरिक्त जाम	नेटवर्क के सुद्धीकरण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये जाने व			
	सहित अदायगी			
92	डापता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1219.82	1219.82	3682,16
बले अविरिक्त ऋग	नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये जाने व			
	सरित अदायगी			
-	डापता अनुदान - सामान्य <i>(</i> गैर वेतन <i>)</i>	1568.03	1568.03	4910.18
2446270.00	800	2588559.85	2062787.85	1847408.68
2646270.00	05	2788559.85	2262787.85	2047408.68
2646270.00	2801	2788559.85	2262787.85	2047408.68



उत्तर प्रदेश सरकार

2023-2024 के लिये

अनुपूरक अनुदानों की मांगें

(नवम्बर, 2023)

जिसा कि विधान-मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गर्यी)

वित्तीय वर्ष 2023—2024 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग प्रस्तावनिक टिप्पणी

जिनके लिए मूल आय–व्ययक में कोई व्यवस्था नहीं होती । अनुपूरक अनुदान की मांग की उस समय भी आवश्यकता होती है, जब सम्बन्धित व्यय के लिए धन उपलब्ध हो, पर व्यय नई मदों के के समक्ष अनुपूरक अनुदान की मांग का प्रस्तुतिकरण संविधान के अनुस्छेद 205 के अनुसार अभीष्ट हैं । व्यय की ऐसी नई मदों के सम्बन्ध में भी अनुपूरक अनुदान की मांग प्रस्तुत करनी होती है, लिए हो या मूल योजना में इतना महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो गया हो कि उसे विधान–मण्डल के सामने स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक हो । ऐसी मांग "प्रतीक मांग" कहलाती है जो प्रचलित किसी वित्तीय वर्ष में व्यय किये जाने के लिये प्राधिकृत कोई धनराशि उस वर्ष के प्रयोजनों के लिये अपर्याप्त पायी जाने पर उस अतिरिक्त व्यय की प्राक्केलित धनराशि के लिये विधान मण्डल वित्तीय व्यवस्था का एक स्वीकृत अंग है ।

- अनुपूरक अनुदान की मांग मुख्यतया इसिलिए की जा रही है कि आय—व्ययंक में व्यवस्थित धनराशि, व्यय्य की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के सापेश कम पड़ने की सम्मावना है। इनमें से कुछ नई मदों पर व्यय करने के लिए भी हैं जिनके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय—व्ययक में कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अतिरिक्त अनुपूरक अनुदान की मांग में 'उत्तार प्रदेश आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव भी सिमिलित हैं, जिसका उल्लेख सम्बन्धित अनुदान के अन्तर्गत दियाणी में किया गया है। विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत मांगों का विवरण अब आवश्यकता है तथा उससे सम्बन्धित सिक्षेप्त टिप्पणियाँ भी सम्मिलित हैं । विनियोग लेखों के प्रयोजन के लिए लेखा शीषों के अनुसार सविस्तार विवरण भी अनुदानवार दिया गया की अनुपूरक अनुदान की मांग में, अनुदान के धनसाधि ₩ की मांग अनुपूरक अनुदान अगले पृष्ठों पर अनुसूची में दिया गया है । व्यवस्थित धनराशि, वित्तीय वर्ष 2023-2024 आय-व्ययक में
- 3. प्ररतायित अनुपूरक मांग ₹ 2876067.38 लाख हैं, जिसमें राजस्व लेखा ₹ 1904639.11 लाख तथा पूजी लेखा ₹ 971428.27 लाख है ।
- धारा–6(2) तथा 6(5) के अधीन अपेक्षित विवरण पत्र भी इन माँगों के साथ प्रस्तुत किया जा रहा प्रबन्ध अधिनियम् 2004 राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट उत्तर प्रदेश 4

अग्रहायण 08, शक सवत्, 1945 तद्नुसार 29 नवम्बर, 2023

दीपक कुमार अपर मुख्य सिचव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन ।

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, की धारा 6(2) के अधीन अपेक्षित विवरण

अधिनियम की धारा ६(२) में निम्नबत् व्यवस्था है –

'वित्त विभाग का प्रभारी मंत्री प्रत्यंक अर्द्ध वर्ष पर बजट से सम्बन्धित प्रारित्यों और व्यय के रूख, बजट लक्ष्यों का प्रार्थितोंकन रूख, बजट लक्ष्यों को प्राप्त करने के तिए किये जाने वाले उपवारी उपायों का पुनर्वितोकन करेगा और एसे पुनर्वितोकनों के परिणाम को विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखेगा । पुनर्वितोकन रिपोर्ट ऐसे प्रपत्र में होगी जैसा विहित किया जाय ।

महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराये गये वित्तीय वर्ष 2023–2024 की प्रथम छमाही के औंकड़ों के आधार पर वर्ष 2023–2024 की प्रथम छमाही के लिये पुनर्विलोकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है ।

वर्ष 2023—2024 की प्रथम छमाही हेत् पूनर्विलोकन रिपोर्ट

(₹ करोड में)

			(V 40 V (U 4)
मद	<u> ব</u> ভান	महालेखाकार द्वारा	ৰজন অনুদান
	अनुमान	पुस्ताकित औकड़े	에 개하
	2023-2024	2023-2024	प्रतिशत
		(30.09.2023 대화)	के रूप में
(1)	(2)	(3)	(4)
(अ) गैर उधार प्राप्तियाँ			
1 राज्य का स्वयं का कर	262634.00	89705.54	34.16
2 करेतर राजस्व	23790.77	4818.82	20.25
3 केन्द्रीय करों में राज्यांश	183237.59	81702.01	44.59
4 केन्द्र सरकार से अनुदान	101203.30	16964.70	16.76
कुल सजस्य प्राप्तियाँ (योग = १.०. १ सन् ४)	570865 66	102101 07	22 84
. स्टार पर्व अधिम की वसनी	3312 18	19:18:18:1 10:18:18:1	16.74
	00.2100	74.+00	†
कुल गैर उधार प्राप्तियों (योग — 1, 2 , 3, 4 एवं 5)	574177.84	193745.49	33.74
(ब) व्यय			
6 राजस्व व्यय	502354.01	1877777.89	37.38
7 पूंजीगत परिव्यय	147492.29	42304.69	28.68
8 उधार एवं अग्रिम	9214.70	1390.03	15.08
9 ऋणों का प्रतिदान	31181.43	8440.20	27.07
কুল আয			
(योग - 6, 7, 8 एवं 9)	690242.43	239912.82	34.76
(स) राजस्व बचत	68511.65	5413.17	
(द) राजकोषीय घाटा	116064.59	46167.33	1

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम की धारा-6(5) के अधीन अपेक्षित विवरण

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 की धारा-6(5) में निम्नलिखित प्रावधान है - जब कभी एक या उससे अधिक अनुप्रक प्राक्कलन विधान मण्डल के सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे, राज्य सरकार चाल् वर्ष के बजट लक्ष्यों और भावी वर्ष के लिए तत्सम कमी अनुप्रक प्राक्कलन के राजकोषीय प्रभाव को पूर्णतः समाप्त करने के लिये व्यय की और / या राजस्व के सम्वर्दधन को सूचित करने वाला विवरण भी संलग्न करेगी । लक्ष्यों ऑ. के उद्देश्यों 훼큐 पुनःसंरचना राजकोषीय 6(5) मध्यकालिक

वाय शुद्ध ट्यय भार की धनराशि रै 2687360.37 लाख है । इस राशि का वित पोषण कर एवं लाख है, जिसमें केन्द्रीय योजनाओं हेतु प्राप्त होने वाले केन्द्राँश की धनराशि रै 138697.01 लाख तथा समायोजन करेतर राजस्व में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करके तथा अनुत्पादक व्यय में कमी करके किया 圷 निध आकार ₹ 2876067.38 उपरान्त समेकित नाख को घटाने के <u>ક</u> अनुप्रक माँगों का 50010.00 धनराशि र प्रस्तेत जायेगा |

अनुदान विवरण	प्रभारी मंत्री		धनराशि (रैत्	₹लाख में)	पृष्ठ संख्या
संख्या			मतदेय	भारित	
2	3		4	5	9
002 आवास विभाग	मुख्य मंत्री				1-2
		एँ इं	38142.00	:	
003 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	लघु उद्योग मंत्री	राजस्व	2000.00	:	က
005 उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोधोग)	खादी एवं ग्रामोघोग मंत्री	राजस्व	144.93	:	4
006 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	हथकरघा एवं वक्नोघोग मंत्री राजस्व	नी राजस्व	100000.00	ŧ	9-9
7.			510.00	:	Δ-7
००१ - उथा। वभाग (भारा एव मध्यम उथाग)	जायानक विकास मंत्र	ر در در در در	51887.00	i i	-
008 उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री)	औद्योगिक विकास मंत्री				10
		ू स्	1300.00	:	
009 ऊर्जा विभाग	ऊर्जा मंत्री	राजस्व	646264.00	i	11-11
		راد آرد	363277.00	:	
010 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	मुख्य मंत्री	राजस्व	5402.00	i	15
011) कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	कृषि मंत्री	राजस्व	2398.38	:	16-17
013 कृषि तथा अन्य सम्बद्घ विभाग (ग्राप्य विकास)	ग्राप्य विकास मंत्री	राजस्व	9868.99	3.51	18-19
014 कृषि तथा अन्य सम्बद्घ विभाग (पंचायती राज)	मुख्य मंत्री	राजस्व	97983.42	:	20-21
015) कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	पशुधन मंत्री	राजस्व	25510.00	1	22-23
		ر و و	1500.00	ŧ	
016 कृषि तथा अन्य सम्बद्घ विभाग (दृग्धशाला निकाम)	दुग्ध विकास मंत्री	राजस्व	2050.00	:	24-25
ואלזומן)		d ,	5000.00	i	

अनुदान विवरण	प्रभारी मंत्री		धनराशि (रेल	₹लाख में)	पृष्ठ संख्या
संख्या			मतदेय	भारित	
1 2	3		4	5	9
017) कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	मत्स्य मंत्री	राजस्व	2520,00	ŧ	26-27
018 कृषि तथा अन्य सम्बद्घ विभाग (महस्रामाना)	मुख्य मंत्री	राजस्व	1100,00	:	28-29
(Newson)		ر الم	i	980,53	
022 खेल विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	5402.00	:	30-31
024 गना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	गन्ना एवं चीनी मंत्री				32-33
		पूर् बी	55000.00	i	
026 गृह विभाग (युलिस)	मुख्य मंत्री	राजस्व	17575.19	:	34-44
		<u>एँ</u>	29064.91	ŧ	
030 गोपन विभाग(राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	मुख्य मंत्री	राजस्व	50.00	i	45
031 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	चिकित्सा शिक्षा मंत्री	राजस्व	65036.91	ŧ	46-50
033 चिकित्सा विभाग (आयुवेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	मुख्य मंत्री				51-52
(invalid		مر م	1075.00	:	
034 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	मुख्य मंत्री	राजस्व	1105.22	:	53-54
036 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजस्व	त्री राजस्व	500.00	i	55-56
		برش	2127.72	ŧ	
037 नगर विकास विभाग	नगर विकास मंत्री	राजस्व	101207.00	:	27-60
		ر مل	5000,00	:	
038 नागरिक उड्डयन विभाग	मुख्य मंत्री				61
		راد الم	00.06	ŧ	

अनुदान विवरण	प्रभारी मंत्री		धनराशि (रे	₹लाख में)	पृष्ठ संख्या
संख्या			मतदेय	भारित	
1 2	3		4	5	9
040 नियोजन विभाग	मुख्य मंत्री				62-63
		<u>ر</u>	41500.00	i	
042 न्याय विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	35759.50	:	64-66
		يْطُ	44.50	:	
043 परिवहन विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	3109.30	:	69-29
		ر الم	10053,00	:	
044 ਪੁਰੰਟਜ ਰਿभाग	पर्यटन मंत्री	राजस्व	8800.00	ŧ	70-71
		<u>, a</u>	11000.00	ŧ	
046 प्रशासनिक सुधार विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	186.80	i	72
047 प्राविधिक श्रिक्षा विभाग	प्राविधिक शिक्षा मंत्री	र्।वस्व	435,97	ŧ	73-74
049 महिला एवं बाल कल्याण विभाग	महिला कल्याण एवं बाल				75
	विकास मन्नी	्रं स	300.00	ŧ	
051 राजस्व विभाग (दैवी विपतियों के सम्बन्ध में राहत)	मुख्य मंत्री	राजस्व	200.00	85436.00	77-78
052 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	मुख्य मंत्री	र्।वस्व	20667.12	ŧ	79-80
055 लोक निर्माण विभाग (भवन)	लोक निर्माण मंत्री				81-82
057 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	लोक निर्माण मंत्री	رار م	ŧ	110.33	83-84
		ूर्ट ज ू	3940.50	i	
058 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	लोक निर्माण मंत्री	राजस्व	350001.00	i	85-87
		्र ब	75000.00	ŧ	

अनुदान विवरण	प्रभारी मंत्री		धनराशि (₹ला	₹लाख में)	पृष्ठ संख्या
संख्या			मतदेय	भारित	
1 2	3		4	2	9
060 ਕਰ ਕਿਘਾਸ	मुख्य मंत्री				88-89
		رر وال	2500,00	i	
061 वित विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	वित मंत्री	राजस्व	61638.85	:	90-91
063 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	वित मंत्री				92
		مرار والم	27.00	i	
065 वित विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदे)	वित मंत्री				93-94
		ू र्व ी	6458.97	i	
067) विधान परिषद् सचिवालय	संसदीय कार्य मंत्री				92-96
		पूर् ब्री	487.63	i	
068 विधान सभा सचिवालय	संसदीय कार्य मंत्री	र्। वस्व	162.50	i	86-26
		पू ँ	475.54	:	
069) व्यावसायिक शिक्षा विभाग	मुख्य मंत्री				66
		रूँ बी	9251.76	ŧ	
071 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	मुख्य मंत्री	राजस्व	26832.00	i	100-101
		ूर्ज इंड्र	1634.12	:	
072 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	मुख्य मंत्री	राजस्व	7864.19	i	102-104
		ूर् इस्	41217.77	:	
073 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	उच्च शिक्षा मंत्री	राजस्व	77.50	i	105-108
		पूर् ज्यी	22206.17	i	
075 शिक्षा विभाग(राज्य शिक्षक अनुसंधान एवं मिक्षश्या मीक्ट)	मुख्य मंत्री				109-110
प्रतिष्यं गर्यक्		ूर् बी	2686.31	:	

अनुदान विवर्ण	प्रभारी मंत्री		धनराशि (रैलाख में)	बमे)	पृष्ठ संख्या
			मतदेय	मारित	
2	3		4	5	9
076 श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	श्रम एवं सेवायोजन मंत्री	राजस्व	3022,75	i i	111-112
		ूँ बी	8448.06	:	
078 सचिवालय प्रशासन विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	30000.00	:	113
079 समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन मजन्तिसमा प्रतं पित्तदा तर्ग कल्लाण)	मुख्य मंत्री	राजस्व	33215.00	ŧ	114-116
		पूर्वी अ	1400,00	:	
081 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	मुख्य मंत्री	र्।वस्व	20639.99	ŧ	117-123
		ूर् जू	7646.35	:	
082 सतकेता विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	250.99	ŧ	124-125
समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के स्तिये तिश्रेष घटक योजना)	मुख्य मंत्री	राजस्व	61235.79	i	126-134
		रू ब्री	143055.40	i	
084 सामान्य प्रशासन विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	102.00	:	135-136
		न्त <u>्र</u> व्य	1006.70	:	
085 सार्वजनिक उद्यम विभाग	सार्वजनिक उधम मंत्री				137
086 सूचना विभाग	मुख्य मंत्री	्रवी अंस्व अंस्व	20.00	: :	138-139
089 राज्य कर विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	352.00	i	140-141
स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग	मुख्य मंत्री	पूँजी राजस्व	4.00	: :	142
092 संस्कृति विभाग	संस्कृति मंत्री	राजस्व	11287.19	ŧ	143-145
		ر مطر مطر	3000.00	ŧ	

वितीय वर्ष 2023-2024 में किये जाने वाले व्यय के लिये अनुपूरक मांगों की अनुसूची

पृष्ठ संख्या —	भारित	5 6	146-147	:	.51	.86	.37	
(₹लाख में)	भा	,			85439.51	1090.86	86530.37	2876067.38
धनराशि -	मतदेय	4	3000,000	20000.00	1819199.60	970337.41	2789537.01	
प्रभारी मंत्री		3	जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण राजस्व	मंत्री **	 योग : राजस्व	रू ँब ी	योग :	कुल योग :
अनुदान विवरण	संख्या	1 2	093 नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग					

ь
विवर्
शीर्षवार
8
धनराशि
冲
अन्तान
8

अस्त्राध्यक्षात्र अस्त्राध्यक्षात्र अस्त्राध्यक्षात्र अस्त्राध्यक्षात्र क्षेत्र क्षेत	1 1 2 4 4	धनसाक्षि 162.50 162.50 30000.00 35759.50 35759.50 65922.00
प्रपान्नप्रसंग राज्य केन कियान मण्डल 68 प्रपान्नप्रसंग राज्य केन कियान मण्डल 68 प्रपान्नप्रसंग राज्य केन कियान मण्डल 78 33 प्रमान्ति संभा स्था का संग्रहण 74 2 33 प्रमान्ति संभा संग्रहण 75 2 33 वार्य निया प्रमानिक संभा संग्रहण 75 2 34 वार्य निया प्रमानिक संभा संग्रहण 75 2 34 वार्य निया संभा संग्रहण 75 2 30 वार्य निया संभा संग्रहण 75 2 30 वार्य निया संभा संग्रहण 75 30 वार्य निया संभा संग्रहण 75 30 वार्य संग्रहण 75 30 वार संग्रहण 75 30 वार संग्रहण 75 30 वार संग्रहण 75 30 वार संग्य संग्रहण 75 30 वार संग	;/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल योग : 2011 परिषद् योग : 2014 योग : (क)	162.50 162.50 30000.00 30000.00 35759.50 35759.50 65922.00
अपर्वश्यक्षेत्र ग्रज्य क्षेत्र विद्यान मण्डलन 68 चीम : 2011 प्रमासन 42 38 चीम : 2014 42 38 चीम : 2014 38 चीम : 2014 38 चीम : 2029 वार्ष ने व्यवकारों पर करों का संग्रहण 31 89 वार्ष ने व्यवकारों पर करों का संग्रहण 32 89 वार्ष ने व्यवकारों पर करों का संग्रहण 32 89 वार्ष ने व्यवकारों पर करों का संग्रहण 32 89 वार्ष ने	;/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल योग : 2011 योग : 2013 योग : 2014 योग : (क)	162.50 162.50 30000.00 30000.00 35759.50 65922.00
भारवर्ग संघ के कि कियान मण्डल 68 योग: 2011 प्रिकट् योग: 2013 योग: 2013 योग: 2014 योग: 2014 योग: 2029 योग: 2029 योग: 2030 वार्ष पंजीरत संच्याकहारों पर करों का संग्रह्म पर्वाकारण पर करों का संग्रहम वार्ष पंजीरत संच्याकहारों पर करों का संग्रहम वार्ष पंजीरत संच्याकहारों पर करों का संग्रहम या प्रविकारण योग: 2030 तथा संवीरत संच्याकहारों पर करों का संग्रहम या प्रविकारण योग: 2040 तथा संचारण योग: (छ) वार्ष : 2040 वार्ष : 2041 वार्ष : 2040 वार्ष : 2041 वार्ष : 2040 वार्ष : 2041 वार्ष : 2040 वार्प : 2040 वार्ष : 2040 वार्प : 2040 वार्ष : 2040 वार्ष : 2040 वार्प	;/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल योग : 2011 परिषद् प्रशासन योग : 2014 योग : (क)	162.50 162.50 30000.00 30000.00 35759.50 65922.00
68 वोग: 2011 78 36 वोग: 2013 78 37 37 31 31 211: 2014 42 38 211: 2029 हारों पर करों का संग्रहण हारों का संग्रहण हारों पर करों का संग्रहण हारों का संग्रहण हार कर करों का संग्रहण	य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल योग : 2011 योग : 2013 सन योग : 2014 योग : (क)	162.50 162.50 30000.00 30000.00 35759.50 35759.50 65922.00
बोग: 2011 78 36 बोग: 2013 42 37 38 बोग: 2014 38 बोग: 2029 हारों पर करों का संग्रहण	योग : 2011 योग : 2013 सन योग : 2014 योग : (क)	30000.00 30000.00 30000.00 35759.50 65922.00
मा: 2013 42 3 योग: 2014 42 3 योग: 2014 65 योग: 2029 652 योग: 2029 89 योग: 2030 43 योग: 2040 89 योग: 2040 89 योग: 2041 89 योग: 2040 651 89 योग: 2049 651 89	मह् योग : 2013 सन योग : 2014 योग : (क)	30000.00 30000.00 35759.50 35759.50 65922.00
बोग: 2013 42 बोग: 2014 बोग: (क) हारों पर करों का संग्रहण हारों पर करों का संग्रहण कर संग्रहण वोग: 2040 वोग: 2041 वोग: 2041 वोग: 2049 वोग: (व)	योग : 2013 सन योग : 2014 योग : (क)	30000.00 35759.50 35759.50 65922.00
बोग: 2014 3 बोग: 2014 6 बोग: 2029 52 बोग: 2029 91 बोग: 2030 89 बोग: 2040 43 से का संग्रहण 43 बोग: 2041 51 बोग: (७) 6 बोग: 2049 8	सन योग : 2014 योग : (क)	35759.50 35759.50 65922.00
बोग : 2014 बोग : (क) हारों पर करों का संग्रहण हारों पर करों का संग्रहण हारों पर करों का संग्रहण होना : 2029 बोग : 2030 रों का संग्रहण रों का संग्रहण रों का संग्रहण रों का संग्रहण वोग : 2040 वोग : 2041 वोग : 2041 वोग : 2049		35759.50 65922.00
बारों पर करों का संग्रहण 52 बोग: 2029 हारों पर करों का संग्रहण वोग: 2030 रों का संग्रहण सर्म 89 बोग: 2040 रों का संग्रहण रों का संग्रहण वोग: 2041 बोग: 2041 बोग: 2044 बोग: 2049 बोग: 2049		65922.00
हारों पर करों का संग्रहण चोग : 2029 हारों पर करों का संग्रहण योग : 2030 योग : 2030 योग : 2040 से का संग्रहण कर 89 चोग : 2040 योग : 2041 योग : 2041 चोग : 2049 चोग : 2049		1 1 3 0 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C
हारों पर करों का संग्रहण योग : 2029 हारों पर करों का संग्रहण योग : 2030 योग : 2040 रों का संग्रहण रों का संग्रहण योग : (ख) 21 89 21 43 21 1 (ख) 21 2041 योग : (ख) 21 89 21 89		07 730
हारों पर करों का संग्रहण हारों पर करों का संग्रहण हारों पर करों का संग्रहण योग : 2030 योग : 2040 योग : 2041 योग : (ख) हार्या : (ख) हार्या : (ख)	(॥). सम्पत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर करों का संग्रहण	7 7 9 9
हारों पर करों का संग्रहण थोग : 2030 थोग : 2030 थोग : 2040 थोग : 2041 थोग : (ए) थोग : (रा)		07 133
थोग: 2029 हारों पर करों का संग्रहण थोग: 2030 रों का संग्रहण कर के के कि के	52	71.12
हारों पर करों का संग्रहण योग: 2030 रों का संग्रहण कर वोग: 2040 रों का संग्रहण योग: 2041 वोग: 2041 वोग: 2049 हो योग: 2049	योग : 2029	667,12
चोग: 2030 से का संग्रहण चोग: 2040 चोग: 2041 चोग: (ख) चोग: 2049 चोग: (ग)	(II). सम्पत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर करों का संग्रहण	
योग : 2030 रो का संग्रहण योग : 2040 योग : 2041 योग : 2041 योग : 2049 योग : 2049 योग : 2049	2030 - स्टाम्प पंजीकरण	
योग : 2030 रों का संग्रहण कर 89 योग : 2040 योग : 2041 योग : (ख) हो योग : 2049 योग : (ग)	91	3500.00
रों का संग्रहण योग : 2040 रों का संग्रहण योग : 2041 योग : (ख) वोग : 2049 योग : 2049	योग : 2030	3500.00
भूम : 2040 योग : 2041 योग : 2041 योग : (ख) वोग : 2049 योग : 2049	(॥), बस्तुओ तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण	
सोग: 2040 सोग: 2040 योग: 2041 योग: (ख) होग: 2049 सोग: (ग)	2040 - विक्री,च्यापार आदि पर कर	
योग : 2040 रो का संग्रहण योग : 2041 योग : (ख) ही योग : 2049 योग : (ग)	68	352.00
रों का संग्रहण योग : 2041 योग : (ख) 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31	योग : 2040	352.00
योग : 2041 योग : (ख) 51 ह योग : 2049 ह	(॥). वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण	
बोग : 2041 योग : (ख) हो योग : 2049	2041 - बाहन कर	
योग : 2041 योग : (ख) 51 हे योग : 2049	43	82.00
योग : (ख) 51 8 योग : 2049 8	योग : 2041	82.00
ही योग : 2049 योग : (ग)	योग : (ख)	4601.12
अदायगियां योग : 2049 योग : (ग)	(ग) ब्याज की अदायगी तथा ऋण सेवा	
योग : 2049 योग : (ग)		85436.00
योग : (ग)	योग : 2049	85436.00
	योग : (ग)	85436.00

त्रेवरण
ग शीर्षवार ि
धनराशि क
अनुदान में
अनुप्रक

लेखा शीर्ष 2053 - जिला प्रशासन योग : 2053 योग : 2055	अनुदान/कम-संख्या	धनराशि
	30	20.00
	84	100.00
	53	150.00
योग : 20	26	16336.02
	155	16336.02
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवायें		
	26	265,00
	37	1200.00
	46 82	186.80 250.99
योग : 2070		1902,79
योग : (घ)		18388.81
(ङ) पेंशन तथा विविध सामान्य सेवायें		
2071 - पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ	72	243.32
योग : 2071	71	243,32
योग : (छ)		243.32
योग : क		174591 <u>.</u> 25
ख - सामाजिक सेवाये (क्र) फिल्म 'नेन्टन्त बन्ना त्रला गांत्रनि		
(स) सिक्षा, खरासूर, नरा तथा संस्कृतत 2202 - सामान्य शिक्षा		
	71	26832.00
	72	7435.30
	73	77.50
	81	7.50
	83	3615.00
योग : 2202	:02	37967.30
2203 - तकनीकी शिक्षा	47	435.97
योग : 2203	:03	435.97
2204 - खेल कूद तथा युवा सेवायें	22	5402.00
	72	185.57
योग : 2204	:04	5587,57
2205 - कला एवं संस्कृति	92	11287,19
	}	

विवरण
शीर्षवार
8
धनराशि
#
अनुदान
अनुपूरक

	अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शिर्षवार विवरण	(≰लाख म)
लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
योग : 2205	205	11287.19
योग : (क)	(2)	55278,03
(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण		
2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य		
	31	65036,91
	34	1105.22
	36	200.00
	83	67,92
चोग : 2210	210	66710.05
योग : (ख)	Į)	66710.05
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास		
2215 - जल पूर्ति तथा सफाई	37	1.00
	93	3000.00
योग : 2215	215	3001.00
2217 - शहरी विकास		
	37	100006,00
	61	61638.85
योग : 2217	217	161644.85
योग : (ग)		164645.85
(घ) सूचना तथा प्रसारण		
2220 - सूचना तथा प्रचार		() ()
	/n 98	90.00
0000 H	CC	49709,00
414 <u>. स्ट</u>		49709.00
्ता . (न) (ङ) अनसचित जातियों अनसचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गों का कत्त्याण	/ नन्य पिछडे वर्गो का कल्याण	
2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का	यों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का	
कल्याण	02	32116 00
	83	1050.00
योग : 2225	225	34165.00
योग : (ङ)	(:	34165.00
(च) श्रमिक तथा श्रम कल्याण		
2230 - श्रम, रोजगार और क्रीशल विकास	76	3022 75
		3022 75
योग : 2230	230	3022.13
1		3022 75

विवरण
शीर्षवार
8
। धनराशि
冲
अनुदान
अनुपूरक

अनुपूक अ	अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण	(소 네면 H)
लेखा शीर्ष	अनुदान/कम-संख्या	धनराशि
(छ) समाज कल्याण तथा पोषण		
2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण		
	52	20000.00
	62	100.00
योग : 2235		20100,00
2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत		
	26	974.17
	51	200.00
योग : 2245		1174.17
योग : (छ)		21274.17
2250 - अन्य सामाजिक सेवायें	84	2.00
योग : 2250		2.00
योग : (ज)		2.00
योग : ख		394806.85
ग - आर्थिक सेवायें		
(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्य कलाप		
2401 - फसल कृषि कर्म	ζ,	
	<u> </u>	040 2 ,00
	7.1	200.002
योग : 2401		5602.00
2403 - पशु पालन	Ĺ	
	<u> </u>	1020 00
	83	2039,98
योग : 2403		28569.98
2404 - ਤੇ੯ੀ ਕਿਆਸ	16	2050.00
योग : 2404		2050.00
2405 - मछली पालन	17	2520.00
योग : 2405		2520.00
2415 - कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	11	2198.38
योग : 2415		2198.38
2425 - सहकारिता	18	1100.00

विवरण
शीर्षवार
धनराशि का
अनुदान में ध
अनुपूरक 3

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
	योग : 2425	1100,00
	योग : (क)	42040,36
(ख) ग्राम विकास		
2501 - ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम		
	<u>8</u>	9868.99
	81	11066.54
	योग : 2501	20935,53
2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम		
	13	3.51
	14	97983.42
	81	8545.95
	83	54462.89
	योग : 2515	160995.77
	योग : (ख)	181931.30
(ङ) उर्जा		
2801 - વિગળી	S	00000
	60	646264.00
	योग : 2801	646264,00
	योग : (ङ)	646264,00
(च) उद्योग तथा खनिज		
2851 - ગ્રામ તથા लઘુ ડઘાગ	EC C	00 0002
	0.5	144.93
	90	10000000
	योग : 2851	102144.93
2852 - उद्योग	20	1032.12
	योग : 2852	1032.12
	योग : (च)	103177.05
(छ) परिवहन		
3054 - ਜਫ਼क तथा सेत्	58	350001.00
	योग : 3054	350001,00
3055 - सड़क परिवहन	43	3027.30
	योग : 3055	3027.30
	योग : (छ)	353028.30

- पर्यट्टन 44 बाग : 3452 वाग : 3452 वाग : वाग	}		
भूगः उत्पर्धः स्वाप्तः स्वाप्	ମଧ୍ୟ ଥାବ	અનુદાન/ક્રમ-સહ્યા	धनराहि
भा : 3452 6 2 1335 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 190	3452 - ਧਹੰਟਜ	44	00 0088
मोग: 3452 योग: (ज) योग: ग- 133 योग: ग- 134 योग: 4055 योग: 4058 योग: 4058 योग: 4058 योग: 4059 र पूर्वीमत परिव्यय 26 63 68 85 योग: 4070 प्रहिमित परिव्यय 65 योग: 4075 योग: क- योग: क- योग: क- योग: क-		:	
ब्रोग: (ज्र) ग्री संक्रात लेखा ग्री स्वर्य लेखा व्योग: 4055 व्योग: 4058 व्योग: 4059 व्योग: 4059 व्योग: 4070 व्योग: 4075 व्योग: 4075 व्योग: 4075 व्योग: क-	योग : 3452		8800.00
योग: ग- गजस्व लेखा प्राजस्व लेखा प्राजस्व लेखा बोग: 4065 योग: 4065 योग: 4069 योग: 4069 योग: 4070 हिं संकृति प प्रजीपत परिञय संकृति प प्रजीपत परिजय स्वाय प्रजीपत परिजय स्वय प्रजीपत परिजय प्रजीपत प्रजीपत परिजय परिजय परिजय परिजय परिजय प्रजीपत परिजय परिजय परिजय परिजय परिजय परिजय परिजय परिजय प	योग : (ञ)		00'0088
ा प्रजस्त्र लेखा 1900 26 22 26 22 26 31 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	योग∶ग-		1335241.01
र पूँजीगत परिव्यय 08 1 व्योग : 4058 68 68 63 43 65 65 68 63 वांग : 4059 65 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68	राजस्व लेखा		1904639.11
्राप : 4055 26 22 27 20 28 11 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3			
प्रकृतिमत परिव्यय 08 1 1 26 22 24 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	क - सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा		
्रक्तींतात परिव्यंत्र 26 22 22 22 24 22 24 25 2			
योग: 4055 प्र कुरीगत परिज्यय पत परिज्यय पत परिज्यय पत परिज्यय पत परिज्यय पर प्र कुरीगत परिज्यय ह 65 योग: 4070 पर्वागत परिज्यय ह 65 योग: 4070 का प्र कुरीगत परिज्यय ह 65 योग: 4070 का प्र कुरीगत सर्वागत सर्वाय ह 85 योग: 4070 का प्र कुरीगत सर्वाय ह 85 योग: 4070 का प्र कुरीगत सर्वाय ह 85 योग: 4070 का प्र केर्नाय सर्वाय ह 85 योग: 4070 का प्र केर्नाय सर्वाय ह 85 योग: क - 41 ह 85 ह	4055 - યુાલસ પર પૂનાગત પારવ્યય	26	24183.75
र पूँजीगत परिव्यय 08 1 बोग: 4058 योग: 4059 42 43 65 68 बोग: 4059 63 67 68 85 बोग: 4070 65 बोग: क- 475 का पूंजीगत लेखा सम्बुगी पर पूंजीगत परिव्यय 65 बोग: क- 41	योग : 4055		24183,75
भेग : 4058 1 नात परिव्यय 40 42 42 43 65 68 65 68 67 68 85 68 85 67 67 68 85 68 85 91 1 : 4070 65 65 65 85 91 1 : क - 41 41 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61	4058 - लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय	00	600000000000000000000000000000000000000
बोग : 4058 पत परिव्यय 40 42 43 65 68 धोग : 4059 र पूंजीगत परिव्यय 26 67 68 85 अग : 4070 धोग : 4075 छोग : 4075 छोग : 4075 छोग : क - का पूजीगत लेखा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय		8	7000
भ0 40 42 42 43 65 68 68 63 67 68 85 91म : 4070 65 65 65 88 85 91म : 4075 65 65 65 8 91म : 4075 65 65 65 91म : ज्योग : ज्येग :	योग : 4058		1300 <u>.</u> 00
40 40 40 42 43 65 65 68 63 67 68 85 85 85 81 31 : 4070 65 85 85 81 31 : 4075 65 8 85 81 31 : क - 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41	4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परित्यय		
42 43 68 83 63 67 68 85 2वोग: 4070 4(इनीगत परिव्यय 65 85 2वोग: 4070 85 85 2वोग: 4070 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85		40	4000.00
43 65 68 4 प्ंजीगत परिव्यय 26 63 67 68 85 2ोग : 4070 65 2ोग : 4075 65 2ोग : क - 47 का प्ंजीगत लेखा का प्ंजीगत लेखा		42	19.50
65 योग : 4059 र पूंजीगत परिव्यय 26 63 67 68 85 थोग : 4070 थोग : 4075 वोग : क - 41 का पूंजीगत लेखा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय		43	2.00
स् पूजीगत परिव्यय 26 26 26 26 26 26 26 26 26 27 26 27 26 27 26 27 26 27 26 27 26 27 26 27 26 27 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20		65	200.00
योग : 4059 र पूंजीगत परिव्यय 26 63 67 68 85 योग : 4070 थूजीगत परिव्यय 65 थोग : क - का पूंजीगत लोखा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय		89	240,59
26 63 67 67 68 85 91 1 : 4070 65 91 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	योग : 4059		4762.09
26 63 67 68 85 85 चोम : 4070 65 65 65 8 2 वाम : क - 41 41 का पूंजीगत परिव्यय 41 41 41 का पूंजीगत परिव्यय 41 41 41 का पूंजीगत परिव्यय 41 41 41 41 का पूंजीगत परिव्यय 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41	4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय		
63 68 85 2गेग : 4070 धूंजीगत परिव्यय वोग : 4075 2गेग : क - वा पूंजीगत लेखा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय		26	4881.16
68 85 थोग : 4070 65 थोग : 4075 65 ह योग : क - 41 संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय		63	27.00
68 85 योग : 4070 65 E योग : 4075 65 E योग : क - 41 का पूंजीगत लेखा		29	487.63
बोग : 4070 पूंजीगत परिव्यय धोग : 4075 योग : क – 4 योग : क – 4 संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय		89	234.95
योग : 4070 (पूंजीगत परिव्यय योग : 4075 योग : क - वो पूंजीगत लेखा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 42		85	20.00
पूंजीगत परिव्यय धोग : 4075 धोग : क - 4 बा पूंजीगत लेखा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 42	योग : 4070		5650.74
थोग : 4075 योग : क - 4 का पूंजीगत लेखा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 42	4075 - विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय		
योग : 4075 योग : क - का पूंजीगत लेखा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 42		65	5958,97
योग : क - 4 का पूंजीगत लेखा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 42	योग : 4075		5958.97
का पूंजीगत लेखा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 42	योग : क -		41855,55
त परिव्यय 42	ख - सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा		
42	(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा		
	4202 - शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय		
		42	25.00

अनुपूरक अनुद	अनुप्रक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण	(र लाख में)
लेखा श्रीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
	72	41217.77
	73	22206.17
	75	2686.31
	92	8448.06
	81	646.35
	83	38893,90
	92	3000.00
योग : 4202		118757.68
योग : (क)		118757.68
(ख) स्वास्थ्य तथा कल्याण पर पूँजीगत लेखा		
4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूर्जीगत परिव्यय	33	1075 00
	39	2127.72
योग : 4210		3202.72
योग : (ख)		3202,72
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा		
4215 - जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परित्यय		
	81	7000.00
	83	70000,00
	93	20000.00
योग : 4215		97000.00
4216 - आवास पर पूंजीगत परिव्यय		
	02	2000.00
	55	110.33
	88	4.00
योग : 4216		5114.33
4217 - शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	02	10001.00
योग : 4217		10001.00
योग : (ग)		112115,33
(छ) समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा		
4235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय		
	49	300.00
	79	1400,00
योग : 4235		1700.00
योग : (छ)		1700.00
(ञ) अन्य समाज सेवाओं का पूंजीगत लेखा ४०२०		
אלטט - שיש מדויטן אי געניינו זייאיז		

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
	69	9251.76
	84	1006.70
योग : 4250		10258.46
योग : (अ)		10258.46
योग : ख -		246034.19
ग - आर्थिक सेवाओं के प्रनीगत लेखे		
(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों का पूंजीगत लेखा		
4403 - पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय		
	15	1500.00
योग : 4403		1500.00
4406 - वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय	09	5500.00
योग : 4406		2200.00
योग : (क)		7000.00
(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम का पूंजीगत लेखा		
4575 - अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	Ç	
	40	37300.00
	83	72500.00
योग : 4575		00'00009
योग : (ग)		00'00009
(ङ) उर्जा का पूंजीगत लेखा		
4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	60	363277.00
योग : 4801		363277.00
योग : (ङ)		363277.00
(च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा		
4851 - ग्राम एवं लघु उघोगो पर पूँजीगत परिव्यय	90	510.00
योग : 4851		510.00
योग : (च)		510.00
(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा		
5053 - नागर विमानन पर पूर्जीगत परिव्यय	Ċ	
	38	00.08
योग : 5053		00'06
5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	20	51887.00
	57	3940.50

11661.5	83
धनराशि	अनुदान/क्रम-संख्या
(₹लाख में)	अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
	83	11661.50
योग : 5054		142489.00
5055 - सड़क परिवहन पर फूंजीगत परिव्यय		
	43	10051,00
योग : 5055		10051,00
योग : (छ)		152630.00
(ञ) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा		
5452 - पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय		
	44	11000.00
योग : 5452		11000.00
योग : (ञ)		11000.00
थोग : ग -		594417.00
पूँजीगत लेखा		882306.74
स् - स्वोक्ट क्या		

ङ = लोक ऋण

6003 - राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण

980,53	980.53	980.53	
78	योग : 6003	ङ - लोक ऋण	

च - कर्ज तथा उधार

6404 - डेरी विकास के लिए कर्ज 16	योग : 6217	6217 - शहरी विकास के लिये कर्ज 02	योग : 6215
		योग : 6217	योग : 6215 योग : 6217

अनुदान संख्या 002

आवास विभाग

[वर्ष 2023-2024 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 1)के पृष्ठ संख्या 1-15 तक देखिये]

				(₹लाख में)
		राजस्व	पूँजी	योग
.मूल अनुदान	मतदेय	44004.60	653853.40	697858.00
	भारित	:	1	:
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	:	38142.00	38142.00
	भारित		•••	
•	मतदेय	44004.60	691995.40	736000.00
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	भारित	ŧ	•	:
II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान	Æ			
को सम्मिलित किया गया है			(₹लाखमे)	
			- Landard Control of the Control of	
			वनराह	
पूँजी लेखा ~~~ -				
4216 - आवास पर पूंजीगत परिव्यय				
80 - सामान्य				
800 - अन्य ਹ				
04 - स्टेट कैपिटल रीजनल डेवलपमेंट अथारिटी तथा अन्य रीजनल डेवलपमेंट अथारिटी के गठन हेत्	ट अथारिटी तथा अन्य र्	जिनल डेवलपमेंट अथारिट	ो के गठन हेतु	
30 - निवेश/ऋण			5000.00	00
		योग : 04	2000.00	00
		э <u>л</u> л - 800	2000.00	00
		000.		
		योग : 80	5000.00	00
		योग : 4216	2000:00	00
4217 - शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय				
60 - अन्य शहरी विकास योजनायें 051 - निर्माण				
05 - बाराणसी एवं गोरखपुर में एकीकृत मण्डलीय कार्यालय का निर्माण	न्त मण्डलीय कार्यालय क	ग निर्माण		
24 - वृहत् निर्माण कार्य			10000.00	00
		योग : 05	10000.00	00
		योग : 051	10000.00	00

09 - प्रदेश के विकास प्राधिकरणों / उ 0 प्र 0 आवास एवं विकास परिषद में कन्वेंशन सेन्टर का निर्माण

800 - अन्य व्यय

धनराशि	1.00	1.00	1.00	10001.00	10001.00
		योग : 09	योग : 800	थोग : 60	थोग : 4217

24 - बृहत् निर्माण कार्य

6217 - शहरी विकास के लिये कर्ज

60 - अन्य शहरी विकास योजनाएं

190 - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

05 - लखनऊ एवं कानपुर मेट्रो रेल परियोजना हेतु प्राप्त बाहय ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु

30 - निवेश/ऋण

23141.00

योग : 05	05	23141.00
योग : 	योग : 190	23141.00
योग : 60	09	23141.00
म् 	योग : 6217	23141.00
=== योग : पूँजी लेखा		38142.00
योग : अनुपूरक		38142.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

- 1. स्टेट कैपिटल रीजन डेबलपमेन्ट ऑथारिटी तथा अन्य रीजनल डेबलपमेन्ट ऑथारिटी के गठन हेतु सीड कैपिटल के लिये स्पये 500000000 की आवश्यकता
 - 2. वाराणसी एवं गोरखपुर में एकीकृत मण्डलीय कार्यालयों के निर्माण के लिये सीड कैपिटल हेतु रूपये 100000000 की आवश्यकता ।
- प्रदेश के विकास प्राधिकरणों / उ.प्र. आवास एवं विकास प्राधिकरणों में कन्त्रेशन सेन्टर के निर्माण हेतु रूपये 100000 की प्रतीक आवश्यकता | आवश्यकतानुसार, धनराशि अनुदान में हो रही बचतों से वहन की जायेगी | 1 3
- लखनऊ एवं कानपुर मेट्रो रेल परियोजना हेतु प्राप्त बाह्यय ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु रूपये 2314100000 की आवश्यकता । 4.

अनुदान संख्या 003

उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)

[वर्ष 2023-2024 के ब्योरेवार अमुमान और अमुदान के लिये खण्ड-5(भाग 1)के पृष्ठ संख्या 1-13 तक देखिये]

				(₹लाख में)
		राजस्व	पूँजी	योग
. मद्र	मतदेय	104725.09	87071.75	191796.84
7	भारित	9.00	:	00.9
असुएक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	2000.00	i	2000.00
	भारित	:	:	:
	मतदेय	106725.09	87071.75	193796 84
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	भारित	00.9		00.9
॥.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान				
को सम्मिलित किया गया है			(₹लाख में)	
			धनराशि	
राजस्व लेखा				
2851 - ग्राम तथा लघु उद्योग				
102 - लघु उद्योग				
14 - विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना				
42 - अन्य व्यय			2000.00	00
		योग : 14	2000.00	00
		योग : 102	2000.00	00
		योग : 2851	2000.00	00
	= योग : राजस्व लेखा	<u>ब</u>	2000:00	00

असुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है ;-

2000.00

योग : अनुपूरक

1. विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना हेतु स्पये 200000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अનુदान संख्या **005**

उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)

[वर्ष 2023-2024 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 1)के पृष्ठ संख्या 1-5 तक देखिये]

				(₹लाख में)
		राजस्व	पूँची	योग
.मूल अनुदान	मतदेय	14264.82	:	14264.82
	भारित	1	:	:
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	144.93	:	144.93
	भारित	•••	•••	::
4	मतदेय	14409.75	:	14409.75
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	भारित	****	•••	•••

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान

को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में) धनराशि

राजस्व लेखा---

2851 - ग्राम तथा लघु उद्योग

105 - खादी ग्रामोघोग

29 - खादी एवं ग्रामोघोग विकास तथा सतत् स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

144.93

144.93	144.93	144.93	144.93	144.93
योग : 29	योग : 105	योग : 2851	योग : राजस्व लेखा	योग : अनुपूरक

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है ;-

1. खादी एवं ग्रामोघोग विकास एवं सतत स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत वितीय वर्ष 2022-23 के क्रय किये गये सोलर चर्छों के लंबित बिलो के भुगतान हेतु स्पये 14493000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 006

उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

[वर्ष 2023-2024 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 1)के पृष्ठ संख्या 1-6 तक देखिये]

				(₹लाख में)
		राजस्व	पूँजी	योग
	मतदेय	76039.68	1500.00	77539.68
규 ·	भारित	ŧ	:	•
अनुप्रक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है म	मतदेय	100000.00	510.00	100510.00
	भारित	i	:	:
	मतदेय	176039.68	2010.00	178049.68
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	भारित	:	::	:
॥.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान				
को सम्मिलित किया गया है			(₹लाख में)	
			धनराशि	
राजस्व लेखा				
2851 - ग्राम तथा लघु उद्योग				
108 - बिजली करघा उद्योग				
04 - पाबरलूम बुनकरों को विधुत दर में छूट की प्रतिपूर्ति	: की प्रतिपूर्ति			
27 - मन्सिडी			100000.00	00
		योग : 04	100000.00	00
		योग : 108	100000.00	00
		योग : 2851	100000.00	00

पूँजी लेखा——--

100000.00

योग : राजस्व लेखा

4851 - ग्राम एवं लघु उद्योग़ो पर पूँजीगत परिव्यय

103 - हथकरघा उद्योग

03 - पी0 एम 0 मित्रा योजनान्तर्गत जनपद लखनऊ-हरदोई में पीएम मेगा एकीकृत वन्न क्षेत्र एवं परिधान (पीएम मित्र) पार्क की स्थापना

510.00 30 - निवेश/ऋण

धनराशि	510.00	100510.00
	योग : पूँजी लेखा	योग : अनुपूरक

असुप्रक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है 🖫

- 1. पावरलूम बुनकरों को बिघुत दर में कूट की प्रतिपूर्ति हेतु स्पये 10000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
- पी.एम. मित्र योजनान्तर्गत जनपद लखनऊ-हरदोई में पी.एम. मेगा एकीकृत बन्न क्षेत्र एवं परिधान (पी.एम. मित्र) पार्क की स्थापना हेतु स्पये 51000000 की आवश्यकता

अनुदान संख्या 007

उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

[वर्ष 2023-2024 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 1)के पृष्ठ संख्या 1-16 तक देखिये]

				(₹लाख में)
		राजस्व	पूँजी	योग
मूल अनुदान	मतदेय	1075958.93	982695.17	2058654.10
	भारित	i	i	:
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	1082.12	51887.00	52969.12
	भारित	:	:	:
•	मतदेय	1077041.05	1034582.17	2111623.22
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	भारित	•	:	:
II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान	_			
को सम्मिलित किया गया है			(₹लाखमें)	
			धनराशि	
राजस्व लेखा———				
2220 - सूचना तथा प्रचार				
60 - अन्य				
800 - अन्य व्यय				
03 - व्यापार मेलों आदि में प्रतिभाग / प्रस्तुतीकरण, समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार एवं प्रसार	प्रस्तुतीकरण, समाचार प	पन्रों के माध्यम से प्रचार एवं	प्रसार	
42 - अन्य व्यय			20	50.00
		योग : 03		50.00
		योग : 800	20	50.00
		योग : 60	20	50.00
		=====================================	20	50.00
2852 - उद्योग				
07 - दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग				
202 - इलेक्ट्रानिक्स				
03 - शासकीय कायोलयों का आधुनिकीकरण	कीकरण			
58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	तु भुगतान		17	17.42
		योग : 03	17	17.42
04 - स्माल सेल तथा भूमि की स्थापना के लिए साफ्टवेयर प्रणाली का विकास	॥ के लिए साफ्टबेयर प्र	_ गाली का विकास		
42 - সন্য অয			12	12.70

		धनराशि ————————————————————————————————————
	योग : 04	12.70
10 - प्रदेश में दूरसंचार सेवाओं / सुविधाओं के विकास हेतु तकनीकी जनशक्ति / पीएमयू का गठन	 त्त तकनीकी जनशक्ति / पीएमयू का ग	उन
42 - अन्य व्यय		1.00
	योग : 10	1.00
—————————————————————————————————————		TH कनेक्शन हेतु प रिचालन व्ययों (OPEX)
की व्यवस्था 42 - अन्य व्यय		1000.00
	योग : 11	1000.00
	योग : 202	1031.12
	योग : 07	1031.12
80 - सामान्य		
800 - अन्य व्यय		
16 - उ.प्र. डाटा सेन्टर नीति		
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	तान	1.00
	योग : 16	1.00
	योग : 800	1.00
		100
	योग : 80	00.
	योग : 2852	1032.12
= योग : राजस्व लेखा		1082.12
पॅनी लेखा		
ू 5054 - सड़कों तथा सेतुओ पर पूंजीगत परिव्यय		
03 - राज्य राजमार्ग		
337 - सड़क निर्माण कार्य		
17 - गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में जी.एस.टी. के अतिरिक्त प्रतिशत व्ययभार के दृष्टिगत विकासकर्ताओं को प्रतिपूर्ति हेतु - 200-	रिक्त प्रतिशत व्ययभार के दृष्टिगत विष	गसकर्ताओं को प्रतिपूर्ति हेत्
24 - वृहत् निर्माण कार्य		51887.00
	योग : 17	51887.00
	योग : 337	51887.00
	योग : 03	51887.00
	 योग : 5054	51887.00

धनराशि	51887.00	52969.12
	 योग : पूँजी लेखा	 योग : असुपूरक

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है ;--

- 1. व्यापार मेलों आदि में प्रतिभाग/प्रस्तुतीकरण, प्रचार एवं प्रसार हेतु रूपये 5000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
- शासकीय कार्यालयों का आधुनिकीकरण कराये जाने हेतु स्पये 1742000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
- स्माल सेल तथा भूमि के ऊपर टेलीग्राफ लाइन की स्थापना के लिये साफ्वेयर प्रणाली के विकास हेतु स्पये 1270000 की आवश्यकता । <u>ო</u>
- प्रदेश में दूससंचार सेवा/सुविधाओं के विकास हेतु तकनीकी जनशक्ति पी.एम.यू. के गठन हेतु रूपये 100000 की आवश्यकता ।
- ग्राम पंचायत में बाई-फाई कनेक्शन एवं एफ.टी.टी.एच. कनेक्शन के लिये परिचालन व्ययों की व्यवस्था हेतु स्पये 10000000 की आवश्यकता । 5
- उ.प्र. डाटा सेन्टर नीति के क्रियान्वयन हेतु स्पये 100000 की व्यवस्था। आवश्यकतानुसार धनराशि अनुदान के अन्तर्गत सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी। 6.
 - गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ परियोजना) में जी.एस.टी. के अतिरिक्त 06 प्रतिशत व्यय भार की विकासकर्ताओं को प्रतिपूर्ति हेतु स्पये 5188700000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 008

उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री)

[वर्ष 2023-2024 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 1)के पृष्ठ संख्या 1-9 तक देखिये]

				(₹लाख में)
		राजस्व	पूँजी	योग
. ਸ੍ਵਾਂ अनुदान	मतदेय	24833.70	1080.95	25914.65
	भारित	•	:	•
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	:	1300.00	1300.00
	भारित	1	:	•
1	मतदेय	24833.70	2380.95	27214.65
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	भारित	1	•	:
॥ .लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान	ΙΈ			
को सम्मिलित किया गया है			(₹लाख में)	
			धनराशि	

पूँजी लेखा**—**—

4058 - लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय

103 - सरकारी मुद्रणालय

03 - सरकारी मुद्रणालयों में मशीनें तथा उपकरणों एवं संयत्रों का क्रय

26 - मशीने और सज्जा /उपकरण और संयंत्र

1300.00

1300.00	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00
योग : 03	योग : 103	योग : 4058	योग : ऍजी लेखा	योग : अनुपूरक

असुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है ;-

1. सरकारी मुद्राणालयों में मशीनों तथा उपकरणों एवं संयबों का क्रय करने हेतु स्पये 13000000 की अतिरित्क आवश्यकता ।

अन्द्रान संख्या 009

कर्जा विभाग

[वर्ष 2023-2024 के ब्लोरेजर अनुसन और अनुसन के लिये खणड-5(भाग 1)के प्य संख्या 1-14 तक देखिये]

.मृत अमुद्राम अमुस्तक अमुद्राम निसामी अम अस्वयमन्दा है		ग्रामस्य	零	展
	13051 3051	3051171.36	1645180.72	4696332.08
		289506.43	440583.58	730089.99
		646264.00	363277.00	1009541.00
	भारित		1	
वोग(मूल अनुदान और अनुप्रक अनुदान)		3697435.36 289506.43	2008437.72 440583.56	5705873.08 730089.99
॥ लेखा शीर्ष विसन्दे अन्तर्गत इस अनुस्क अनुसन				
को सम्मिलित किया त्या है			(₹लाखमे)	
	56 S		धनराष्ट्रि	
गुबस्य लेखा				
2801 - 除机				
05 - संकल एवं वितरण				
190 - सर्वजनिक क्षेत्र के और अन्य, उपक्रमों को रहायता	हो सहायता			
03 - उत्तर प्रदेश पावर कर्पोरिशन लि0				
0301 - आत्मिनीर पारत कर्यक्रम के अन्तर्गत विदीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश पावर कामीरेशन खि. द्वारा पी.एक.सी. एवं	के अन्तर्गत वितीय वर्ष 202	0-21 में उत्तर प्र	देश पावस कामीरेशन लि. द्वार	त पी.एक.सी. एव
अयः है.सी. से प्राप्त किये ग	अय है.सी. से प्राप्त किये गये स. 20,940 करोड़ के कला के फुल्पन की अदावगी हेतु अनुरान	ग के मुख्यान की	अदावगी हेतु असुदान	
20 - सहस्या अनुदान - समान्य (गैर मेहन)	र मेहन)		28800.00	00
	योग : 0301	301	28800.00	8
	學:03		28800.00	8
	帥: 190	90	28800.00	00
800 - अन्य स्वय				
04 - 3.प्र. पावर काएपेंड्डन लि. को धरिपूर्ति अनुदान	नि अनुदान			
27 - मन्त्रिक्षी			187464.00	00
	योग:04		187464.00	00
08 - मिनी नलक्ष्य उपमोत्तकाओं को टैरिफ सब्सिद्धी हेतु यू.पी.पी.सी.एल.को अनुदान	मनिद्धी हैत् यू.पी.पी.सी.एल	त.मो अमुदम		
20 - महाच्या अनुद्धन - मामान्य (मैर देगन)	स केल्प)		9000000	00
	योग : 08	m	90000.00	00

		धनराजि
20 - महायत अनुदान - समान्य (गैर वेतन)	e¥ 3%	320000.00
	योग : 09	320000.00
10 - उत्तर प्रदेश पाका करपोरेशन स्थि को विष्कृत कर की प्रगातन की गयी धनगणि के किन्द्र राज्यन समिन्नी अनुदान	भूगतान की गयी धनग्री के किन्द्र राजस्य ह	सिन्ति अनुदान
27 - गमिडी		20000.00
	क्रा:10	20000.00
	क्रम: 800	617464.00
	योग : 05	646264.00
	योग:2801	646264.00
योगः : गुजस्त्र लेखा	लेख	646264.00
एँडी लेखा		
4801 - विजली परियोजनाओं पर पृजीमत परिवाय		
02 - ताप विद्या मिन उत्पदन		
190 - सर्वजनिम क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों है निवेश		
14 - उनर प्रदेश राज्य विक्का ऊपप्तन निगम शिषिटेड		
1409 - ओबरा 'सी' तारीय परियोजन 2x660 में.का.भ्दी स्थापना हेतु अज्ञप्ति विनियोजन	.क. स्टी स्कापना हेतु अज्ञप्ती ग्रिनियोजन	
30 - नियंत्राज्ञम		10000.00
	योग : 1409	10000.00
1410 - 2x660 मेगबाट बबहरपुर तथीय बिधुत परियोजना के निर्माण हेतु अशप्ती बिनियोजन	परियंजना के निर्माण हेतु अशप्ती विनियोज	E
30 - Ritarisen		7500.00

1419 - पाटमपुर, कानपुर में मेमर्स निकेली लिम्बड्ट कारणेरेजन लि0 के साथ संयुक्त उपकार में 2000 मे0 वा0 की तापीय परियोजना 15000.00 32500.00 32500.00 15000.00 32500.00 क्रा:1419 योग : 190 योग:14 क्रा:02

7500.00

योग:1410

क्ती स्थापना

30 - Hitzilien

05 - मंचरण तथा वितरण

धनग्री		06 -दीमहबाल उपाध्याय ग्राम अमेति योजना (11 वी, 12 वी एवं नवीन) तथा सीमान्य योजना के अन्तर्गत एस.जी.एस.टी. एवं केट की भाति		14800.00	14800.00	100000000000000000000000000000000000000	150000.00	150000.00		102886.00	102886.00	बहरा विज्ञीकरण के कार्य हैत	1991.00	1991.00			51100.00	51100.00		10000.00	10000.00	61100.00	330777,00	330777.00	363277.00	363277.00	
		थी, 12 वी एवं नवीन) तथा सौभाष्य	की प्रतिपृति		योग:06	दुड़ीकरण संबंधी कार्यों हेत्		मेंग:11	के सुट्टीकरण संबंधी कार्यों हेत्		वोग:13	ती अध्यस निर्माण क्षी परियोजनाओं मे		मेग:21		कार्ष हेतु अंशपूजी (राज्यांश)		वेग:8907	एन 0 क्रो अकानुजी (राज्याक)		क्षेत्र : 8908	8:4	क्षेम:190	योग:05	वोग : 4801	योग : पुंगी लेखा	
	190 - सार्वनमिक क्षेत्र तथा अस्य उपक्रमों में निवेश	06 - दीनदयाल उपाज्याम ग्राम अमेति योजना (11	लेम मेरा एवं राज्य के अन्य करों के भूगतान की प्रतिपृत्ति	30 - Habbi sere		11 - प्रदेश के सभी बनमदों में वितरण प्रणाली के खुड़ीकरण संबंधी कार्यों हेत्	30 - Hibathan		13 - प्रदेश के नार निम्मीय क्षेत्र में विद्याप प्रणाती के सुद्वीवरण संबंधी जायों हेतु	30 - निवेशांभूष		21 - प्रधानमत्री आवस घोजना (शहरी) में किरुवायती अव्यास निर्माण की परियोजनाओं में बहुच विक्रुपिक्रण के बार्य हैतु	30 - Hazaren		89 - केन्द्र प्रयोवित योजनाओं का संगत राज्यांश	8907 - हानियों क्यी हेतु कराने जाने जाने कार्य हेतु अमधूबी (राज्याय)	30 - निवेश/कृष		8908 - स्मार्ट मीटिमिग हेर्नु यू.० मी० सी० प्रत ० को अक्षांजी (राज्याक)	30 - Habsings						योग:	

अनुसूक अनुदान की अध्ययकता मिन्नसिखित कारणों से हुई है :-

- आत्मिनिर्गर भारत योजनान्त्रगैत प्राप्त ऋष के मुनभुगतान हेतु स्पये 2880000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
- त.प्र. पासर कार्योरक्षण लि. को वर्ष 2023-24 के लिये प्रतिराति अनुहान हेतु स्पर्न 1300000000 की अवस्पकता ।
- 3.प्र. पागर कार्योक्षित्र सि. को वर्ष 2020-21 के लिये देव राजस्य प्रतिपूर्ति अनुदान के सामेश अवक्षेत्र पुगमान हेतु कार्य 5746400000 की आध्ययकता ।
- निजी नत्त्रह्म उपगोत्तरओं को अजिकों पर 100 प्रतिशत कुट प्रदान भिन्दे जाने हेतु स्पयं 900000000 भी अतिरिक्त अवस्थकता ।
- 5. डिस्बाम्स की हामियों की फान्डिंग हेतु रुपये 32000000000 की अमिरिक अध्ययकता ।
- 3.9. पासर कार्योश्यन लि. को विद्या कर के सापेश्व अन्द्रान हैत रुपये 2000000000 की अतिरिक्त आकायकता । 9
- ओक्स सी तामीय विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु स्थये 1000000000 की जातिरिक्त आव्ययकता ।
- नवाहरपुर तार्रीय विधुन परियोजना की स्थापना के लिये उत्पादन मिग्न को अवापूजी हेतू स्पये 750000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
- 9. चाटमपुर तामीय विद्यात परियोजना हेतु स्पर्च 1500000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
- 10. ਟੀਜਵਬਲ ਤਯਨਕਪ ਧੁਸ ਅਸੈਂਸਿ ਬੀਭਜਾ ਦਿ ਸ਼ੀਪੜਯ ਕੁੰਡਜਜਾਈ ए...ਸੀ.ए...ਟੀ. एवं कैट की भाति लेक्स सेम एवं ਹਰਯ के अन्य करों के भूजान हों। स्पन्ने 1480000000 की अतिरिक्त अवस्थकता
- 11. स्ट्रेश के सभी जनमहों में विसरा प्रणाली के सुद्धीकरण हैयु समये 1500000000 की आवश्यकता ।
- 12. फ्रेंग के मगीय क्षेत्रों तथा नीएडा एवं मऊ में विक्रण फ्राली के सुद्धीकरण हेतु स्पर्व 10288600000 की अवस्थकता।
- 13. क्यानमंडी अवास योजना (शहरी) में किमायती अवास निर्माण जी परियोजनाओं में वाहत विधुर्तीकरण कार्य हेर्तु रूपये 199100000 की अवशयकता ।
- 14. रिवेम्पड डिस्ट्रीयहान केन्टर स्कीम अन्तर्गह हानियों में कमी हैतु अहाप्ती के स्थ में रूपये 5110000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
- 15. रिवेम्पड डिस्ट्रीयझान सेन्टर स्मीम अन्तर्गत समार्ट मीटरिंग के कार्यो हेतु रूपये 1000000000 की अतिरिक्त आकरमकता ।